<u>कार्यालय, नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0)</u>

<u>निविदा के नियम एवं शर्तें</u>

1. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति को स्केन कर ई–प्रोक्यूरमेण्ट की वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा **ई0एम0डी0, निविदा प्रक्रिया शुल्क(डी.डी./रसीद) व शपथ पत्र की मूलप्रति निर्धारित तिथि तक कार्यालय में स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा –**
   - (I) छ0ग0 एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत् सक्षम श्रेणी में पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (जिसकी वैधता निविदा खुलने की तिथि तक हो)।
   - (II) यदि फर्म है, तो पार्टनरशिप डीड प्रमाण–पत्र की सत्यप्रतिलिपी ।
   - (III) माल एवं सेवा कर (GST) में पंजीयन एवं गत् 03 माह का चुकता (3B)प्रमाण पत्र की प्रति।
   - (IV) पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रति।
   - (V) पेनकार्ड की प्रति।
   - (VI) अमानत राशि के रूप एफडीआर/टीडीआर की मूलप्रति।
   - (VII) निविदा प्रक्रिया शुल्क (डी.डी./विविध रसीद) की मूलप्रति।
   - (VIII) निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र (राशि रू0 100/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)।
   - (IX) डामरीकरण कार्य हेतु स्वयं का हॉट मिक्स प्लाण्ट, वाईब्रेटरी रोलर एवं सेंसर/मेकेनिकल पेवर फिनिशर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य है।

2. अमानत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक/स्थानीय स्तर के ग्रामीण बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0/टीडीआर, **आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी** एवं संबंधित फर्म के संयुक्त नाम से जो निविदा प्रकाशन दिनांक के पश्चात जारी किया गया हो एवं जिसकी वैधता निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयसीमा तक या उससे अधिक होने की स्थिति मे ही मान्य होगी।
3. अमानत राशि जो किसी अन्य कार्य के लिए कार्यालय में पूर्व से जमा हो, इस निविदा हेतु समायोजित नहीं होगी।
4. ठेकेदार को कार्यालय द्वारा प्रदाय कार्यादेश में उल्लेखित राशि में ही कार्य संपादन करना होगा। विशेष परिस्थितियों में कार्यादेश की राशि से अधिक के कार्य करने के लिए पूर्व सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. ठेकेदार को कार्यालय द्वारा प्रदाय कार्यादेश में उल्लेखित समय सीमा में ही कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पृथक से समय वृद्धि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रदान नहीं की जावेगी।
6. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसके लिए कोई भी न्यायालयीन वाद मान्य नही होगा।
8. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी को होगा।
9. समस्त कॉंक्रीट कार्य में क्रेशर मेटल का ही प्रयोग किया जावेगा।
10. ठेकेदार के चल देयक से नियमानुसार धरोहर राशि, जीएसटी, आयकर एवं अन्य कटौतियाँ की जावेगी।
11. डामरीकरण कार्यो के देयक से 5 प्रतिशत की राशि **परफॉर्मेंस गारण्टी के रूप में 03 वर्ष** के लिए रोकी जावेगी।

12. निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग में लाई गई खनिज गौंण सामग्री में रॉयल्टी का भुगतान कलेक्टर, कार्यालय की खनिज शाखा में करते हुये अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।

13. कार्य से संबंधित विस्तृत शर्तें, प्राक्कलन, ड्राईंग इत्यादि कार्यपालन अभियंता, न0पा0नि0 चिरमिरी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस अथवा समय में प्राप्त/देखे जा सकते हैं।

14. निर्माण कार्य के दौरान उपयोग किये गये मटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट व निर्माण कार्य की गुणवत्ता छ0ग0 वर्क मैन्युअल के प्रावधान अनुसार समय–समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

15. चल देयकों के भुगतान की स्थिति में 80% का ही भुगतान देय होगा।

16. कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कार्य की लागत के आधार पर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करना होगा। साईट में तकनीकी अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

17. स्थानीय बाजार में सामग्री की अनुपलब्धता समय वृद्धि का कारण नही होगी।

18. राशि रू0 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।

19. निविदा दाता द्वारा एस0ओ0आर0 दर से 10 प्रतिशत से अधिक कम निविदा दर प्राप्त होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/डी0डी0, जो कि संबंधित निगम के आयुक्त के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि में जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जावेगी।

20. दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को 15 दिवस के अंदर कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। उक्त समयावधि में अनुबंध निष्पादन नहीं किए जाने की स्थिति में निविदा स्वमेव निरस्त हो जावेगी एवं 01 वर्ष के लिए निगम की किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।

21. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में काम पूरा न कर सकने की स्थिति में देयक से 6 प्रतिशत तक की राशि कटौती की जावेगी।

22. मूल्यांकन अनुसार देयक भुगतान शासन से राशि प्राप्त होने/उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

23. कार्य स्थल में कार्य प्रारंभ करने के बाद सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा। अर्थात खुदाई के बाद गड्ढों की बेरिकेटिंग कर स्थल को सुरक्षित रखा जावे। निर्माण सामग्री को इस तरह एकत्रित करें कि आवागमन बाधित नहीं हो तथा परिवहन अवरूद्ध होने अथवा दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।

24. शासन से कम राशि प्राप्त होने की स्थिति में राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य संशोधित कर समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि सम्पूर्ण राशि का कार्य कराया ही जावे। लागत मूल्य से कम मूल्य पर अथवा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर अनुबंध/कार्यादेश समाप्त किये जाने की स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

25. निर्माण कार्य में टेस्टिंग का कार्य किसी शासकीय /अर्द्धशासकीय या अन्य प्रतिष्ठानों से कराये जाने की स्थिति में उसमें होने वाले व्यय का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। ऐसा भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किये जाने पर उसके देयक से कटौती कर भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा।

26. ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर कार्य करते समय बोर्ड प्रदर्शित करना होगा, जिसमें कार्य का नाम, योजना, तत्समय निर्धारित दरें, कार्य की लागत, कार्य का प्रारंभ दिनांक एवं कार्य की समय अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

27. कार्य संपादन में उक्त क्षेत्र के निवासियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए वैकल्पिक अस्थायी मार्ग, नाली आदि का कार्य ठेकेदार को स्वयं संपादित करना होगा तथा कार्यसमाप्ति के पश्चात् वैकल्पिक स्थल को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। क्षेत्र के निवासियों को असुविधा होने की स्थिति में कार्य को रात्रिकालीन कराने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था अथवा राशि निकाय द्वारा देय नहीं होगी।

28. पूर्व में जिन निविदाकारों की दर न्यूनतम हुई हैं एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अनुबंध संपादित नहीं किया गया है, वे निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही जिन निविदाकारों को कार्य प्रदाय किया गया है एवं 01 वर्ष से ज्यादा अवधि होने के पश्चात भी लंबित हैं उन्हें भी निविदा से पृथक रखा जावेगा। यदि ऐसे निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

29. डामरीकरण कार्य हेतु जिनके पास स्वयं का हॉट मिक्स प्लाण्ट, वाईब्रेटरी रोलर एवं सेंसर/मेकेनिकल पेवर फिनिशर होगा, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

30. सफल निविदाकार को अनुबंध के पूर्व हॉट मिक्स प्लाण्ट चिरमिरी निकाय क्षेत्र से 40 कि0मी0 की परिधि में लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निविदाकार को राशि रू0 50/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-एम०सी०बी०(छ०ग०)

रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में
शपथ पत्र (Affidavit)

मैं/हम (शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम) जो कि मेसर्स ....(ठेकेदार फर्म/कम्पनी का नाम) के .... (कंपनी/फर्म में हैसियत) है और फर्म/कम्पनी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है, इस शपथ–पत्र द्वारा शपथपूर्वक यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला–कोरिया (छ0ग0) द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना क्रमांक ....सिस्टम निविदा क्र0..................... वास्ते (कार्य का नाम) .... के लिये दिनांक .... को आमंत्रित निविदाओं के बारे में प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र में निम्नलिखित जानकारी के समर्थन में जो प्रमाण–पत्र/अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे है, उससे मैं/हम व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से संतुष्ट है तथा एतद् संबंधी जानकारियों, अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की सत्यता के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं –

(1) यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णत सत्य एवं प्रमाणिक है।

(2) यह कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत

(अ) ई.एम.डी. के रूप से जमा की गई डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. अन्य संबंधी दस्तावेज जो बैंक के द्वारा प्रदाय किए गए है वे बैंक से प्रमाणिक है।

(ब) निविदा में भाग लेने हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां सत्य व वैध है। प्रस्तुत दस्तावेज/अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में मैं/हम पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।

(3) **मैं/हम भारत सरकार/अन्य राज्यों के राज्य सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में काली सूची में सम्मिलित नहीं हूँ/हैं या डिबार नहीं किया गया हूँ/हैं।**

(4) यह कि नगरीय प्रशासन विभाग में मेरे/हमारी फर्म/कम्पनी के सदस्यों का कोई निकट रिश्तेदार कार्यरत नहीं है।

अथवा

निम्नलिखित निकट रिश्तेदार कार्यरत है –

नाम .... पदनाम .... वर्तमान पदस्थापना ....

(5) यह कि मेरे/हमारे/फर्म के विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण कहीं भी पंजीबद्ध नहीं है।

सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापन
की सील तारीख सहित

हस्ताक्षर मय सील के

निर्धारित प्रपत्र में शपथ नहीं देने पर निविदा में अनर्ह घोषित किया जावेगा।